

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8592/2010

डॉ. वीरेंद्र क्षेत्रपाल पुत्र श्री शांतिलाल खत्री, एकमात्र मालिक, मैसर्स क्षेत्रपाल
सॉफ्टवेयर, निवासी सिविल लाइन्स, कोटा (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
- राजस्थान राज्य, जिला कलेक्टर, कोटा के माध्यम से।
- उप-पंजीयक, पंजीकरण और स्टांप, कोटा।
- उप-महानिरीक्षक, पंजीकरण और स्टांप विभाग, कोटा।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शैलेश प्रकाश शर्मा,
अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए : श्री संदीप तनेजा, एएजी,
सुश्री किंजल सुराना, एजीसी के
साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

10/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने वाले दिनांक 19.03.2010 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने एक सॉफ्टवेयर विकास फर्म स्थापित करने के लिए 25.09.2002 को प्लॉट नंबर जीआई-16, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा को पट्टे पर लिया। पट्टानामा 26.09.2002 को पंजीकृत किया गया था और स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया था। याचिकाकर्ता को अधिसूचना संख्या एफ 4(50)एफडी/टैक्स-डीवी/99-83 दिनांक 18.08.2001 की जानकारी मिली, जिसमें रीको औद्योगिक क्षेत्र में आईटी पार्कों को स्टांप शुल्क से छूट दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 09.12.2002 को उप-महानिरीक्षक (पंजीकरण और स्टांप) को स्टांप शुल्क की वापसी के लिए आवेदन किया।
3. आवेदन 11.12.2002 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करने के लिए वापस कर दिया गया था। 13.12.2002 को याचिकाकर्ता ने मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, अजमेर के समक्ष एक वापसी आवेदन दायर किया। राजस्व बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') ने दिनांक 19.02.2003 के संचार के माध्यम से याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार और निर्धारित तरीके से वापसी आवेदन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता द्वारा 05.03.2003 को बोर्ड के समक्ष दायर आवेदन को 19.03.2010 को खारिज कर दिया गया और इसलिए, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि बोर्ड ने वापसी आवेदन को समय-सीमा से बाहर होने के कारण खारिज करने में गलती की। उनका तर्क है कि यह आपत्ति कि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं थीं, न तो सामना किया गया और न ही खामियों को दूर करने

का अवसर दिया गया। उनका निवेदन है कि उप-महानिरीक्षक द्वारा उप-पंजीयक (स्टांप) से याचिकाकर्ता से स्टाम्प शुल्क वसूलने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जबकि छूट अधिसूचना थी। प्रस्तुत स्पष्टीकरण यह था कि उप-पंजीयक को अधिसूचना की जानकारी नहीं थी।

5. प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने विवादित आदेश का बचाव किया। उनका निवेदन है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 45 के तहत, जैसा कि उस समय राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था, आवेदन तीन महीने के भीतर दायर किया जाना था और याचिकाकर्ता ने 05.03.2003 को आवेदन दायर किया। उनका तर्क है कि स्टाम्प शुल्क याचिकाकर्ता द्वारा स्वेच्छा से जमा किया गया था।

6. छूट अधिसूचना की प्रयोज्यता विवाद में नहीं है। न तो याचिकाकर्ता और न ही विभाग को छूट अधिसूचना के बारे में पता था और परिणामस्वरूप, स्टाम्प शुल्क लिया गया था। जानकारी मिलने पर, याचिकाकर्ता ने 09.12.2002 को यानी स्टाम्प शुल्क के भुगतान के तीन महीने के भीतर वापसी आवेदन दायर किया। आवेदन को 11.12.2002 को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दाखिल करने के लिए वापस कर दिया गया था। आवश्यक कार्रवाई 13.12.2002 को की गई थी। आवेदन 19.02.2003 तक लंबित रहा और याचिकाकर्ता को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया। निर्देशों के अनुपालन में, वापसी के लिए आवेदन 05.03.2003 को किया गया था।

7. अधिनियम की धारा 45(2) यह प्रावधान करती है कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की वापसी के लिए एक आवेदन शुल्क लेने के तीन महीने के भीतर किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने स्टाम्प शुल्क के भुगतान और दस्तावेज के निष्पादन के तीन महीने के भीतर एक आवेदन दायर किया। आवेदन

विचाराधीन रहा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष और निर्धारित तरीके से दाखिल करने के लिए दो बार वापस कर दिया गया। 05.03.2003 को दायर किया गया आवेदन 09.12.2002 को दायर किए गए वापसी आवेदन के जारी होने के रूप में था। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता सद्भावपूर्वक भुगतान किए गए अतिरिक्त स्टॉप शुल्क की वापसी के लिए उपायों का पीछा कर रहा था और आवेदन समय-सीमा के भीतर था।

8. बोर्ड को कुछ दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न न करने के कारण आवेदन को खारिज करने से पहले याचिकाकर्ता को खामियों को दूर करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था।

9. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और मामले को प्रतिवादी नंबर 1 को वापस भेजा जाता है ताकि वह इसे समय-सीमा के भीतर मानकर कानून के अनुसार नए सिरे से वापसी आवेदन पर निर्णय ले सके।

10. यदि आवेदन में कोई खामी है, तो याचिकाकर्ता को खामियों को दूर करने का अवसर दिया जाएगा।

11. यह देखते हुए कि इसमें शामिल मुद्दा 2002 में भुगतान किए गए स्टॉप शुल्क की वापसी से संबंधित है, कर बोर्ड इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर आवेदन पर निर्णय लेने का एक गंभीर प्रयास करेगा। यदि याचिकाकर्ता वापसी का हकदार पाया जाता है, तो राशि उसके बाद दो महीने के भीतर वापस कर दी जाएगी।

12. आगे की देरी से बचने के लिए, पक्षों को 12.08.2024 को सुबह 11:00 बजे प्रतिवादी नंबर 1 के समक्ष उपस्थित होने दें।

13. रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

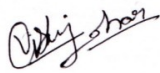
(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

एचएस/मोहिता-15

रिपोर्ट करने योग्य:-हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़